पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक– 04.11.2023

दिनांक 03/04.11.2023 को रात्रि थाना पीजीआई 02, नगराम 02, वजीरगंज 01, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना मलिहाबाद–दिनांक 03.11.2023 को एस0आई0 श्री कुँवर वीर विक्रम सिंह थाना मलिहाबाद द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01.अभय पुत्र मोहन लाल निवासी मोहम्मडन टोला थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ 02. कल्लू कश्यप पुत्र रामआसरे निवासी शीतलन टोला थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ 03. मिठाईलाल पुत्र शम्भू नि0 मोहम्मडन टोला जनपद लखनऊ 4. संजय पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी शीतलन टोला थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ को आपस में हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान गढी संजर खां के गांव के बगल मैदान में बरगद के पेड़ के नीचे बहद ग्राम गढी संजर खां थाना मलिहाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मालफड़ में 1200/– रूपये नगद, 52 अदद ताश के पत्ते व जामातलाशी में 1200/– रूपये नगद बरामद कर थाना मलिहाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 मध्य

थाना कैसरबाग–दिनांक 03.11.2023 को एस0आई0 श्री लाल चन्द्र यादव थाना कैसरबाग द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01.कौशिक सोनकर पुत्र अजय सोनकर नि0 पीर जलील दक्षिण (खटिकाना) थाना वजीरगंज लखनऊ 02.मुकेश सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर नि0–पीर जलील दक्षिण (खटिकाना) थाना वजीरगंज लखनऊ 03.साजन सोनकर पुत्र अकील सोनकर नि0 175/93 पीर जलील दक्षिण (खटिकाना) थाना वजीरगंज लखनऊ 04.बिहारी सोनकर पुत्र स्व0 देशी राम सोनकर नि0–175/39 पीर जलील दक्षिण (खटिकाना) थाना वजीरगंज लखनऊ 05. अजय कुमार गुप्ता पुत्र प्रेम चन्द्र गुप्ता नि0 पीर जलील दक्षिण (खटिकाना) थाना वजीरगंज लखनऊ स्थायी पता जगदीशपुर कटरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा 06.राहुल सोनकर पुत्र अनिल सोनकर नि0–175/70 पीर जलील दक्षिण (खटिकाना) थाना वजीरगंज लखनऊ 07. जी0पी0 सोनकर पुत्र स्व0 मनोज कुमार सोनकर नि0–175/71 पीर जलील दक्षिण (खटिकाना) थाना वजीरगंज लखनऊ 08. सौरभ सोनकर पुत्र ओम बाबू सोनकर नि0– 175/72 पीर जलील दक्षिण (खटिकाना) थाना वजीरगंज लखनऊ को आपस में हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान त्रिलोकी सिंह बाल विद्यालय के पीछे चेतना वाली गली, थाना कैसरबाग, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मालफड़ में 800/–रूपये नगद, 52 अदद ताश के पत्ते व जामातलाशी में 630/–रूपये नगद बरामद कर थाना कैसरबाग पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>**भा0द0वि0**</u>

<u>**थाना पीजीआई**</u>–दिनांक 04.11.2023 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती रामा पत्नी बुद्धी लाल निवासी–नटखेड़ा खरिका प्रथम तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 26.10.2023 को वादिनी के उक्त घर में घुसकर अज्ञात चोरों द्वारा घर में रखे कीमती जेवरात, 5,000/–रूपये नगद व अन्य जरूरी सामान को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 728/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>**थाना ठाकुरगंज**</u>–दिनांक 04.11.2023 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री अशर्फीलाल पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी–शाहपुर भमरौली, थाना काकोरी लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 030.11.2023 को समय करीब 10.40 बजे वादी दुबग्गा चौराहे से ई–रिक्शा में बैठकर अपनी जेब में कुल 20,000/–रूपये रखकर सामान खरीदने के लिए यहियागंज जा रहा था कि तभी तहसीनगंज चौराहे पर वादी के बगल में बैठा अज्ञात व्यक्ति जो कि ठाकुरगंज चौराहे से उक्त ई–रिक्शा पर आकर बैठा था, उक्त अज्ञात व्यक्ति ने तहसीनगंज चौराहे पर ई रिक्शा रूकवाया व वादी को 10/–रूपये देकर कहने लगा कि ई रिक्शा वाले को दे दो। इसी बीच उक्त अज्ञात व्यक्ति ने वादी की दाहिनी जेब को काटकर जेब में रखे 20,000/–रूपये निकालकर दो पहिया वाहन पर बैठकर भाग गया। बाद में देखने पर वादी के साथ हुयी घटना का पता चला। **इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0–757/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>**थाना नाका**</u>–दिनांक 04.11.2023 को थाना नाका द्वारा बतया गया कि वादी श्री राकेश तिवारी पुत्र राम कुमार तिवारी निवासी–ई–1, राजेन्द्र नगर थाना नाका लखनऊ ने थाना नाका पर सूचना दिया कि दिनांक 21.10.2023 को समय करीब 04.00 से 05.30 बजे शाम के बीच वादी को एक फोन काल आया और काल करने वाले ने वादी से कहा कि पहचाना तो वादी ने कहा कि तुम रज्जू बोल रहे हो पुणे से तो इस पर उक्त व्यक्ति ने कहा कि हां वह रज्जू ही बात कर रहा है। और कहा कि उसका लखनऊ में 20,000/–रूपये फंसा हुआ है, और वादी से कहा कि वह उसका रिश्तेदार है वादी उसे 20 हजार रूपये फोन पे, गूगल पे या अन्य किसी माध्यम से भेज दे तो वह उसे तुरन्त वापस कर देगा। उक्त व्यक्ति द्वारा वादी का कुल 2,79963/–रूपये को धोखाधड़ी पूर्वक गूगलपे व अन्य किसी माध्यम से ट्रांसफर कर लिया गया। बाद में जब वादी ने फोन किया तो उक्त मो0नं0 स्विच ऑफ हो गया है। **इस सूचना पर थाना नाका पर मु0अ0सं0–163/2023 धारा–420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**